Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ झालावाड़ में रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर को रिश्वत राशि 10,400/- रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, 15 अप्रेल, 2026 बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड चौकी द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **रजनी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मऊ बोरदा, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़** को परिवादी से रिश्वत राशि **10,400/- रूपये** प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ए.सी.बी. की झालावाड चौकी को परिवादिया द्वारा दिनाक 10.04.2026 को शिकायत दी गई कि प्रार्थिया महूमहल खीची दरबार सेवा समिति मे एक चयनित सदस्य के रूप में कार्यरत हूं। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष समाज के कल्याण से सम्बंधित कार्य किये जाते है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी 2026 को संस्था द्वारा धानोद खुर्द पचायत बोरदा मऊ, खानपुर में 26-27 जोड़ो का एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का समस्त खर्च जोडो, जनसहयोग व संस्था द्वारा ही उठाया गया। आयोजन में किसी प्रकार की कोई सरकारी व आर्थिक सहयोग प्राप्त नही हुआ है। विवाह हो जाने के बाद संस्था द्वारा सभी विवाहित जोडो का विवाह प्रमाण पत्र बनवाया जाना एक आवश्यक विधिक प्रकिया है। जिसके क्रम में मैं 2-3 बार ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा के पास जा चूकी हूं। रजनी मीणा द्वारा मुझे बताया गया कि प्रति विवाह प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 500/- रूपये देने होंगें सभी जोडो के लगभग 13,500/- रूपये देने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगें व रजनी मीणा द्वारा बोला गया कि संस्था सामुहिक विवाह सम्मेलन से स्वयं लाभ लेती है व सरकारी अनुदान से भी फायदा उठाती है इसलिए आपको प्रति जोडा 500/- रूपये देना ही होगा।

परिवादिया के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.04.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपिया द्वारा परिवादिया से सर्वजातिय सामुहिक विवाह सम्मेलन में 28 विवाहित जोड़ो का विवाह प्रमाण पत्र बनवाने हेतु बातचीत की तो आरोपिया रजनी मीणा द्वारा प्रत्येक जोडे के 26 विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में परिवादिया से कहा कि एक विवाह प्रमाण पत्र के 500/- रूपये के बदले तुम 400/- रूपये दे देना। इस प्रकार उन्होने कुल 26 जोड़ो के विवाह प्रमाण पत्र बनाने के 10,400/- रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा रिश्वत राशि व विवाह प्रमाण पत्र के बाकी कागजात लेकर बुधवार दिनाक 15.04.2026 को अपने कार्यालय बुलाया गया।

जिस पर रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर आज दिनाक 15.04.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झालावाड़ चौकी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ प्रेरणा शेखावत** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपिया को परिवादिया से रिश्वत राशि 10,400/- रूपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

आरोपिया से पूछताछ तथा घर की तलाशी की कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।